न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्याः अपील/सीलिंग/6086/2003/हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रातवसर जिला हनुमानगढ

–अपीलार्थी

बनाम

1. देवीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्रगण गणपतराम
3. गीता बेवा गणपतराम
4. गिरदावरी पुत्री गणपतराम पत्नी लाधुराम
5. सरबती पुत्री गणपतराम पत्नी रामेश्वर लाल

समस्त जाति जाट निवासी रावतसर जिला हनुमानगढ

–प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

1. श्री ओ.पी. भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 04.09.2019

यह अपील धारा 23(2)ए राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम् जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05-03-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज गणपतराम के विरूद्ध नये सीलिंग कानून के तहत प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 26-09-2000 से गणपतराम के पास सीलिंग सीमा से 30.10 बीघा भूमि अधिक होना मानते हुए अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये। इस निर्णय के विरूद्ध गणपतराम के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 ने अपर जिला कलक्टर, नोहर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 05-03-2002 से स्वीकार कर प्राधिकृत अधिकारी, सीलिंग एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05-03-2002 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर राज्य सरकार द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि परिवार मे निर्धारित तिथि को कोई बालिग पुत्र नहीं था, इस कारण उपखण्ड अधिकारी ने एक इकाई मानकर जो आदेश पारित किया गया था वह विधिसम्मत् था तथा उक्त आदेश से पूर्व उसे पर्याप्त अवसर प्रदान किया था किन्तु उसके द्वारा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। उनका कथन है कि धारा 15एएए के तहत जो आदेश प्रदान किया जाता है उसमें सम्वत् 2012 से पूर्व की खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में आदेश पारित किये जाते है ना कि सीलिंग सीमा निर्धारण में तथा उक्त कार्यवाही में भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया था जिससे यह सिद्ध होता कि उनका एक पुत्र बालिग हो। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विपक्षी द्वारा जो साक्ष्य पेश की थी उसके विरोध में अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया, ना ही इस बाबत् उनके द्वारा कोई जांच की गयी तथा बिना कोई जांच किये उन

दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की गयी। अतः राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्धारित तिथि 1-1-1973 को घोषणाकर्ता गणपतराम के परिवार में स्वयं, तीन पत्नियां, दो पुत्र एवं दो अविवाहित पुत्रियां थी। परिवार की परिभाषा धारा 2-एफ एवं धारा 4(1) के अनुसार घोषणाकर्ता गणपतराम स्वयं तथा तीन पत्नियां एवं उसके तीन नाबालिग बच्चे बतौर प्राथमिक इकाई के रूप में अधिकतम सीमा क्षेत्र धारण कर सकते है एवं बालिग पुत्र देवीलाल धारा 2-एम तथा धारा 4(2) के तहत बतौर सेपरेट यूनिट पृथकतः अधिकतमः सीमा क्षेत्र में धारण करेगा। उनका कथन है कि विवादित आराजी आईजीएनपी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी 83 प्रतिशत इन्टेनसिटी है एवं एक यूनिट उक्त क्षेत्र में 50बीघा भूमि धारण कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक इकाई घोषणाकर्ता गणपतराम का परिवार एवं सेपरेट यूनिट 100बीघा भूमि धारण कर सकते है जबकि घोषणाकर्ता के पास कुल 73बीघा 07बिस्वा कमाण्ड व 0.07बीघा अनकमाण्ड कुल 73.14 बीघा भूमि है, जो सीलिंग सीमा से कम है। उनका कथन है कि तहसीलदार, रावतसर द्वारा दिनांक 12-06-1996 को गणपतराम व उसके परिवार में एक बालिग पुत्र मानकर सीलिंग नियमों में 86.14बीघा भूमि धारण करने का अधिकार मानकर पत्रावली निर्णीत की गयी और धारा 15एएए (2क) के तहत 59 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। इस प्रकार निर्धारित तिथि को उक्त 59बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में घोषणाकर्ता गणपतराम की खातेदारी में नहीं होकर कब्जा राज भूमि थी, जिसे सीलिंग अधिनियम के तहत शुमार नही किया जा सकता। उनका कथन है कि उक्त 59बीघा भूमि घोषणाकर्ता गणपतरामा की प्री-55 की भूमि है। उनका कथन है कि

आईजीएनपी क्षेत्र में 15एएए के मामलों में सींलिग के प्रावधान लागू नहीं होते है। उनका कथन है कि विवादित आराजी राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र की है, जहां पर सीलिंग सीमा नवीन अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत ही जांच की जा सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त क्षेत्र में पुराना सीलिंग कानून लागू नहीं होगा। उनका कथन है कि राज्य सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है, जो मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध तथ्यात्मक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1981 आरआरडी पेज 410, 1976 आरआरडी पेज 475, 1985 आरआरडी पेज 739, 1976 आरआरडी पेज 434, 1993 आरआरडी पेज 135, 2011 आरआरटी-1 पेज 309, 2013 आरआरडी पेज 591, 1984 आरआरडी पेज 754, 1992 आरआरडी पेज 112 एवं 1999 आरबीजे पेज 292 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13-8-1981 की प्रति प्रस्तुत की।

7. हमने उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में श्री अशोक कुमार, प्रभारी अधिकारी तहसीलदार, राजस्व, पीलीबंगा द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद

अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है।

9. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णयों तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि 1-1-1973 को घोषणाकर्ता गणपतराम के परिवार में स्वयं, तीन पत्नियां, दो पुत्र एवं दो अविवाहित पुत्रियां थी तथा तहसीलदार, रावतसर की रिपोर्ट अनुसार एसेसी के धारण में कुल 73.07बीघा कमाण्ड एवं 0.07बीघा अनकमाण्ड भूमि थी। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण के पूर्वज गणपतराम के पास कुल 73बीघा 14बिस्वा भूमि में से 59 बीघा भूमि सम्वत् 2012 से पूर्व की भूमि प्री-55 की थी, जो तहसीलदार, रावतसर द्वारा दिनांक 12-06-1996 को गणपतराम व उसके परिवार में एक बालिग पुत्र मानकर सीलिंग नियमों में 86.14बीघा भूमि धारण करने का अधिकार मानकर पत्रावली निर्णीत की गयी और धारा 15एएए (2क) के तहत 59 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। उक्त से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के खाते में दिनांक 1-1-1973 को उक्त 59बीघा भूमि दर्ज नहीं होकर रकबा राज भूमि थी, जिसे सीलिंग अधिनियम के तहत विचाराधीन कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसी आशय का सिद्धान्त योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1993 आरआरडी पेज 135, 2011 आरआरटी-1 पेज 309 एवं 2013 आरआरडी पेज 591 में उद्धरित किया गया है। जहां तक प्रस्तुत प्रकरण में पुराने सीलिंग कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने का प्रश्न है, योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1984 आरआरडी पेज 754 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13-8-1981 के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में स्थित भूमि बाबत् लम्बित सीलिंग प्रकरण में पुराना सीलिंग अधिनियम लागू नहीं होगा। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में स्थित है, जिसके बाबत् लम्बित सीलिंग प्रकरण में नया सीलिंग कानून ही प्रभावी होगा।

10. प्रस्तुत प्रकरण में निर्धारित तिथि 1-1-1973 को एसेसी गणपतराम के परिवार में स्वयं, तीन पत्नियां, तीन नाबालिग बच्चे एवं एक बालिग पुत्र देवीलाल सहित कुल 8 सदस्य है। परिवार की परिभाषा धारा 2-एफ एवं धारा 4(1) के अनुसार घोषणाकर्ता गणपतराम स्वयं तथा तीन पत्नियां एवं उसके तीन नाबालिग बच्चे बतौर प्राथमिक इकाई के रूप में अधिकतम सीमा क्षेत्र धारण कर सकते है एवं बालिग पुत्र देवीलाल धारा 2-एम तथा धारा 4(2) के तहत बतौर सेपरेट यूनिट पृथकतः अधिकतमः सीमा क्षेत्र में धारण का अधिकारी है। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में एसेसी के बालिग पुत्र को पृथक यूनिट धारण का अधिकारी माना गया है। जहां तक योग्य उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा एसेसी गणपतराम के एक बालिग पुत्र होने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है, स्कूल रजिस्टर, घनश्याम उच्च प्राथमिक विद्यालय का टीसी प्रमाणपत्र एवं वोटर लिस्ट सन् 1975 के अनुसार असेसी गणपतराम का पुत्र देवीलाल निर्धारित तिथि 1-1-1973 को बालिग था। इस प्रकार एसेसी व उसका परिवार निर्धारित तिथि 1-1-1973 को दो यूनिट अर्थात् 100बीघा कमाण्ड भूमि धारण करने की पात्रता रखता था जबकि प्रत्यर्थी व उसके परिवार के धारण में केवल मात्र 73बीघा 14बिस्वा समतुल्य भूमि है, जो सीलिंग सीमा से कम है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने एसेसी गणपतराम को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसके विपरीत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय से अपील को स्वीकार कर प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-06-2000 को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणामतः अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05-02-2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य